(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2511–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–7–15 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, जावद प्रकरण कमांक 03/अ–13/13–14.

1– विनोद कुमार पिता बापूलाल
2– मांगीलाल पिता सूरजमल
निवासीगण ग्राम धामनिया
तहसील जावद जिला नीमच .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मदनलाल पिता भगतराम
2– बरदीबाई पति भगतराम
निवासीगण ग्राम धामनिया
तहसील जावद जिला नीमच .....अनावेदकगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कमल सिंह आंजना, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार, जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, जावद के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धामनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 372 रकबा 1.320 हेक्टेयर पर आने–जाने हेतु रूढ़िगत रास्ता धामनिया से बसेडी भाटी सर्वे कमांक 196 से होते हुए सर्वे कमांक 197 एवं सर्वे कमांक 373 के बीच की मेड़ पर से रहा है । उक्त रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । उनके द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता

खुलवाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–3/13–14 दर्ज कर दिनांक 17–7–15 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । अतिरिक्त तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये उनकी भूमि में से रास्ता देने में न्याय की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 372 एवं 375 भूमिस्वामी मदनलाल एवं अम्बालाल दोनों सगे भाई हैं, और मौके पर एक ही खेत था, जिस पर जाने के लिए सर्वे कमांक 350 से रास्ता था, परन्तु अनावेदकगण द्वारा सीधा रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदकगण की भूमि के बीच से रास्ता मांगा गया है, जिसे देने में तहसील न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित करते हुए रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार, जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–15 स्थिर रखा जाता है । तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर